भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5493

26.07.2019 को उत्तर के लिए

प्लास्टिक पर प्रतिबंध

5493. श्री अच्युतानंद सामंत :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में सभी राज्यों के लिए एकसमान नीति लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रसाधन सामग्री जैसे अनेक दैनिक उत्पादों में प्लास्टिक होता है और यह पर्यावरण के लिए विषैला होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का ऐसे उत्पादों में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किये हैं इन नियमों के अनुसार 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले वर्जिन या पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर रोक लगी है। गुटखा, तंबाकू और पान मसाला को रखने, पैक करने या बेचने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री के इस्तेमाल से बने थैली पर पूर्ण रूप से रोक लगी है। ये नियम सभी राज्यों में एक समान रूप से लागू हैं। इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक सभी एकल प्रयोग के प्लास्टिक पर रोक लगाने संबंधी भारत की प्रतिज्ञा की घोषणा की है। मंत्रालय ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा उनके विभागों, प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कार्पोरेटों इत्यादि को अपने कार्यालयों में एकल प्रयोग के प्लास्टिक उत्पादों पर रोक लगाने के लिए पत्र लिखें हैं।

(ग) से (ङ) आमतौर पर प्रसाधन सामग्रियों तथा टॉयलेटरीज में प्रयोग किये जाने वाले माइक्रोबीड्स प्लास्टिक के बने होते हैं और जैव-अवक्रमणीय अथवा जल में घुलनशील नहीं होते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने मानक, आइएस 4707 (भाग 2) : 2017 'कच्ची तथा गौण प्रसाधन सामग्री का वर्गीकरण : कच्ची सामग्रियों की भाग 2 सूची जिन्हें सामान्यत: प्रसाधन सामग्रियों में प्रयोग के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है' प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार 'प्लास्टिक माइक्रोबीड्स : 5एमएम अथवा इससे कम, जल में अघुलनशील, धुलाई संबंधी व्यक्तिगत देखभाल के उत्पादों में परत छोड़ने वाले या धोने के लिए प्रयुक्त ठोस प्लास्टिक कण' को प्रसाधन उत्पादों के घटक का भाग नहीं होना चाहिए।

*****